न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट परवण

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 41/2003
रज्जु दिनांकः 14/07/2003
निर्णय दिनांकः 31/05/2017

1. घासी पुत्र भैरू
2. श्रवण पुत्र भैरू
3. प्रहलाद पुत्र भैरू

समस्त जाति जाट निवासीः गोकुलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. किशना पुत्र घासी
2. रामेश्वर पुत्र घासी

समस्त जाति गुर्जर, निवासीः गोकुलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

3. नानूलाल पुत्र छोगा
4. बजरंग पुत्र छोगा
5. कजोड पुत्र छोगा

समस्त जाति जाट, निवासीः गोकुलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है

उपखण्ड अधिकारी

जिसकी कामयाबी की पूर्ण आशा है। आराजी खसरा नंबर 61/5 व 61/6 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खसरा नंबर 217/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नंबर 217 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 250/1/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर है प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण लगान सरकारी अदा कराते आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी आराजी को अपने पिता के समय से काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में बाजरा, ज्वार व मूंग की फसल बोई हुई है। प्रार्थीगण जब आज सुबह फसल को संभालने गये तो समस्त अप्रार्थीगण एक गिरोह बनाकर खेत पर आये और उनके साथ ट्रेक्टर फोर्ड भी था और कहा कि इस फसल को उथेलेगे। अप्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है न ही वे इस आराजी के पडौसी काश्तकार है परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य एक अन्य आराजी के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है जिसके कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से रंजिश रखते है व येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को नाजायज परेशान व नुकसान पहुंचाने के प्रयास में रहते है। दिनांक 1.7.2003 को समस्त अप्रार्थीगण ट्रेक्टर लेकर आये करीब सुबह 9 बजे प्रार्थीगण को फसल को अथेलने का प्रयास करने लगे प्रार्थीगण ने समझाना चाहा व विरोध किया तो अप्रार्थीगण नहीं माने झगडे पर उतारू हो गये तो प्रार्थीगण के हो हल्ला करने पर पडौसी काश्तकारो ने समझाया यह कहा कि जमीन प्रार्थीगण की है जमीन में प्रार्थीगण ने फसल बोई है। प्रार्थीगण की फसल को क्यो नष्ट करते है गांववालो के बढते दबाव से अप्रार्थीगण उस समय तो चले गये किन्तु जाते–जाते ऐलानिया धमकी दी कि वे प्रार्थीगण की फसल को नष्ट करेगे प्रार्थीगण की फसल को नष्ट होने से बचाने के लिये अप्रार्थीगण को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण काश्तकार ऐसा व्यक्ति है यदि उनकी फसल को नष्ट कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी इसलिये भी यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जि.–जयपुर

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि विवादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

कि प्रार्थीगण की बोई हुई बाजरा, ज्वार, मूंग आदि की फसल को न तो उथेले न ही किसी प्रकार से नष्ट करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि से नष्ट करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो। न्याय के सिद्धान्त अनुरूप एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि ऐसा किये जाने से अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी बमुकाबिले प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण प्रबल है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट परवण में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)